

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय  
परिवर्तनाय महगाई भत्ता**

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या 194/36-3-2011-07(न्यूनौटो) /04, दिनांक 28.01.2014 द्वारा 59 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारी की मूल दरों परम देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता का नियोजन किया गया है। मजदूरी की जो दरों पर नासिक आवार पर नियोजित की गयी है, उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ता के 1/26 से कम तथा 1/6 से बढ़े दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होना।

उक्त 59 अनुक्रम में नियोजित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए, अधिकारीय उपभोक्ता मूल सूचकाल आवार वर्ष (2001-100), 2012 से जिन्हार, 2012 के अधिकारीय उपभोक्ता 216 (मात्र दो सौ लाख) अवधि के ऊपर तुलना, 2014 के बदलाव, 2014 के अधिकारीय उपभोक्ता 253 (मात्र दो सौ लाख) पर दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक परिवर्तनीय महगाई भत्ता नियोजित दृष्टान्त की भाँति योग्या करके देय है—

**दृष्टान्त—** लापत्ते 5750.00 प्रतिमाह मजदूरी प्राप्त करने वाले अकुशल अधिकारीय की कर्मचारियों को औसत मूल सूचकाल 253 पर दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता नियोजित होगा—  
(253-216)

$$5750 = ₹ 984.95 \text{ प्रतिमाह}$$

216

प्रियक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महगाई भत्ता, मासिक शब्द, दैनिक मजदूरी की दरे निम्नलिखित हैं—

अ. ०	श्रेणी १	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में) २	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक	
			दिनांक 01.10.2014 से दिनांक 31.03.2015 तक	दिनांक 01.04.2015 से दिनांक 30.09.2015 तक	प्रतिमाह कुल दैनिक मजदूरी (रुपये में)	६
<b>१</b>	<b>२</b>	<b>३</b>	<b>४</b>	<b>५</b>	<b>६</b>	<b>७</b>
<b>१</b>	अकुशल	5750.00	865.50	984.95	6734.95	259.04
<b>२</b>	अद्य कुशल	6325.00	732.05	1080.45	7408.45	284.94
<b>३</b>	कुशल	7085.00	820.02	1213.63	8298.63	319.18

**नियोजनों के नाम :-**

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और ट्रक्यूब शालित) के उद्योग।  
 2. लाइटिंग उद्योग और इलेक्ट्रिक उत्पाद के उद्योग।  
 3. नियोजन उद्योग।  
 4. यासित पेंडो (एरिटेड फ्रिंक्स) के विनिर्माणशाला।  
 5. पाली के रसों की विनिर्माणशाला।  
 6. परतदार लकड़ी (प्लार्वेट) के उद्योग।  
 7. पेट्रोल और डीजल आधीन उद्योग।  
 8. डेसी और लिंक डेसी।  
 9. चिले रियाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।  
 10. बीम तदान्त की विनिर्माण और अनुबंध। सिवाई परियोजनाओं कुओं और तालायों की सुदारू।  
 11. उन समस्त राजिस्ट्रीकृत कारखानों ने नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।  
 12. प्राइवेट अन्त्यान्त (टायरिंग होस्ट) एवं प्राइवेट कर्लीनिंकों और प्राइवेट डाकटरी राजान की दुकानों।  
 13. डलाई घर।  
 14. धारु उद्योग।  
 15. दिन एवं शनिवार और दिन शिल्प।  
 16. ऐसे अभिवन्नप उद्योग जिसमें 50 से बान व्यवित नियोजित हों।  
 17. चम्बे शोब्बनशाला और चम्बे विनिर्माण शाला।  
 18. चम्बे दस्तु विनिर्माण उद्योग।  
 19. डोजरी सेकर्न।  
 20. नियूजी पुस्तकालय।  
 21. काष्ठ संकरे और काष्ठीयर उद्योग।  
 22. प्राइवेट कर्मिता कार्यालय प्राइवेट विद्यालय, जिनमें नसीरी रस्कूल और नियूजी प्राप्तिक राज्यालय भी सम्मिलित है।  
 23. लकड़ी विनिर्माण।  
 24. छोटान्त।  
 25. वानिकी (फारेस्ट्री) लद्दा बनाने और काष्ठ कार्य, जिनके अन्तर्वेत विनी अन्य बन उपयोग का सपर्धन और उसे गवाई में से जाना भी है।  
 26. दुकान।

- 27. चारित्रिक अधिकारी।**

**28. शासन मिलः आदा मिल या बदल मिल।**

**29. तेल मिल।**

**30. लोक महार धरित्वात्।**

**31. गणिक परिवहन कर्मजाति।**

**32. आदिमप्रथम दिपेषु भूमितात्।**

**33. शुद्धजने के नियम या उच्छृंग समये इत्यते या नियोग अक्षियामि।**

**34. एकल शोड़ने या प्राप्तर कृष्णे।**

**35. विजयन यो कार्य।**

**36. दियासालाह उद्योग।**

**37. आदिसमीक्षा / आदिसमीक्ष विनियोगवाहात्मा।**

**38. दक्षी और विश्वामुखी।**

**39. दक्षी विनियोगवाहात्मा।**

**40. दीपेष्टस शीर्षेष्ट कार्याचार्या और अन्य उच्चेष्ट उत्तमद विनियोगवाहा।**

**41. लोक्ता और शुद्धार्थ अधिकारी।**

**42. जिल्डाकी।**

**43. कोट रुद्रिज।**

**44. कटरी दिव्यसिद्धि या दिव्यदीप्ति।**

**45. नियोग शुद्धार्थसंपत्।**

**46. उद्योग उद्योग।**

**47. उपदार उपदार।**

**48. विलासी उद्योग।**

**49. एकोपिक, आपुर्विक, मूनगी कर्मदी।**

**50. बदल।**

**51. हृषकर्ता (सिर्लक यी भाई लो चुमाई ) जीवे यो कार्य।**

**52. कराता योगे या प्रसाधन के लाभुम या सिद्धिकृष्ण या स्वपुन यो या प्रसाधन के विविध।**

**53. ऊनी बाबूल बनाने यो अधिकारी।**

**54. छापवालाय।**

**55. हृषकर्ता उद्योग।**

**56. हृषिक व्यालित करना उद्योग।**

**57. छोटा दिव्यसिद्धि बदल एकम वौश उत्तमादी के नियोग।**

**58. कागारा „ता“ और गेहर बदल उद्योग।**

**59. ईट भट्ठा उद्योग।**

प्राचीन बुद्धार्थ

अपरे शम आयुष्मान् उत्तारं प्रदेशं  
शीते शम आयुष्मान् उत्तारं प्रदेशं ।

कर्मज्ञ श्रम आयवत्. उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।

प्रियंका गांधी - 2015

प्रति सं० ८५८-७) / प्रवर्तन०-(एम०डब्ल०) / १५

प्रतिलिपि:-

- समस्त क्षेत्रीय जपर / उप अम आयुक्त उदयन को इस आमाय से विविध श्री अधीकरण अधिकारिया का अवगति करना।
  - भूमिका बोरालीजनों न उनके प्रतिनिधित्वाद्वारा भी ऐसे जाने पर उपलब्ध कराए।
  - अनुशासित उदाहरण अम अनुशासन ३०, लखनऊ।
  - सहायक निदेशक अम एवं सीधा राज्य मंत्रियां (येत्र रेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई-गोल [wagedcell@nic.in](http://wagedcell@nic.in) के माध्यम से :
  - अधिकारियों निदेशक उदाहरण के लिखनाएँ।
  - अपर अमायुक्त, (काजीराम) का नोटिस थोड़ा बढ़ाव दर बढ़ावा लाने हेतु।
  - अपर अमायुक्त (आजीवनाम), मुख्यालय।
  - अपर अमायुक्त, (काजीराम), मुख्यालय को समर्पण क्षेत्रीय जपर/उप अम आयुक्त एवं सहायक निदेशक, भारत सरकार को ई-गोल
  - को आमाय से विविध जाने तथा प्राप्ति योग्यता योरेस्ट्राइट घर अपलोड करने दें।
  - उप अमायुक्त (प्रस्तुतकालीन), मुख्यालय को यूट्यूबर्स/अपलोडरों द्वारा दें।
  - वास्तव प्राप्ति दानाक अमायुक्त वोटों को जन आमाय वोट जानकारी दें। अनलाइन गे दें मुख्य भ्रष्टाचारी।

- 10 -

(संकेत सूचना)  
अपर अम उत्तरायण, उत्तर प्रदेश

कार्यालय अधिकारी वर्षानुक्रम 23 अप्रैल से 30 जून वर्षानुक्रम

पार्श्व ५७१८-३६ एलोआ०२०प्रवाल-१५

Page 01-4-15

मालवा विधि विभाग के संचालन पर अधिकारक कार्यसाधी हेतु प्रतिवाच-

- उपरायकर्ता को प्राप्ति नियमानुसार एवं आवश्यकता सहायता अनुदान विभाग द्वारा उपरायकर्ता को दिया जाता है। इसका लाभ उपरायकर्ता को देता है।

(D-1 मिश्र)